

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंचप्रकरण शीर्षक: जयपुर-अजमेर-किशनगढ़-भांकरोटा राजमार्ग पर लगी

भीषण आग के संबंध में।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश**21.12.2024**

रिपोर्ट योग्य

न्यायालय द्वारा:

1. जयपुर-अजमेर-किशनगढ़ भांकरोटा हाईवे पर 20.12.2024 को सुबह लगभग 5:40 बजे भीषण आग लग गई, जब एक ट्रक और एक एलपीजी टैंकर में टक्कर हो गई। यह घटना इतनी भयावह और दर्दनाक थी कि इसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने कई लोगों की जान ले ली, गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 800 मीटर के क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई।
2. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस समय हुई जब अजमेर से जयपुर जा रहे एक एलपीजी टैंकर ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास, जिसे ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है, यू-टर्न लेने की कोशिश की। विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की टैंकर से टक्कर हो गई, जिससे भीषण आग लग गई और आसपास चल रहे दर्जनों वाहन जलकर खाक हो गए। इस भीषण आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
3. आग के साथ कई धमाके हुए जिससे आस-पास का इलाका दहल गया और लोग दहशत में भाग गए। शैक्षणिक संस्थान और मुख्य इलाके लगभग बंद हो गए। यहाँ तक कि इलाके से गुजरने वाले सड़क मार्ग भी बदलने पड़े।
4. पिछले कुछ वर्षों में, देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ऐसी आग ने जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इनसे जैव-विविधता का नुकसान होता है और भू-दृश्य स्तर पर स्थल क्षरण होता है, जिससे मरुस्थलीकरण होता है। पीटलैंड बायोम में जैविक भू-भाग सहित कुछ वनस्पतियों में चरम स्थितियों में लगने वाली आग से स्थलीय

कार्बन का ह्रास वैश्विक जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान है।

5. रासायनिक या एलपीजी से आग लगने की घटनाएँ सरकार, निजी क्षेत्र और आम जनता के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये आपदाएँ मानव जीवन पर अपने प्रभाव के कारण अत्यंत कष्टदायक हो सकती हैं और इनके परिणामस्वरूप जनहानि के साथ-साथ प्रकृति और संपत्ति को भी नुकसान पहुँचता है। रासायनिक और एलपीजी आपदाओं के कारण सबसे अधिक जोखिम वाले कारकों में मुख्य रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक संयंत्र, गैस गोदाम, आवासीय कॉलोनियों से होकर गुजरने वाले रासायनिक और एलपीजी वाहन, सार्वजनिक और निजी वाहन, आस-पास की बस्तियों के निवासी, आसन्न इमारतें, उनमें रहने वाले लोग और आसपास का समुदाय शामिल हैं।

रासायनिक/एलपीजी आपदाएं कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे:-

प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता:-

- i. मानवीय त्रुटियाँ.
- ii. तकनीकी त्रुटियाँ.
- iii. प्रबंधन त्रुटियाँ.
- iv. परिवहन के दौरान होने वाली दुर्घटनाएँ।

6. भारत ने वर्ष 1984 में "भोपाल गैस त्रासदी" जैसी दुनिया की सबसे भीषण आपदा देखी है, जिसमें जहरीली गैस मिथाइल आइसो साइनेट (MIC) के आकस्मिक रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2009 में, 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर के सीतापुरा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो में आग लगने की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और कई संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ।

7. ऐसी दुर्घटनाएँ चोटों, दर्द, पीड़ा, जान-माल की हानि, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भोपाल में हुई घटना के बाद भी भारत में रासायनिक दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहा, जो देश की संवेदनशीलता को दर्शाता है। केवल पिछले दशक में ही, भारत में 130 गंभीर रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 259 लोगों की मृत्यु हुई और 563 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

8. देश में रासायनिक और एलपीजी आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- (i) विस्फोटक अधिनियम, 1884.

(ii) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934.

(iii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

(iv) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

सरकार ने एम.एस.आई.एच.सी. नियम, ई.पी.पी.आर. नियम, एस.एम.पी.वी. नियम, सी.एम.वी. नियम, गैस सिलेंडर नियम, खतरनाक अपशिष्ट नियम जैसे नए नियम बनाकर तथा उनमें संशोधन करके रासायनिक/एल.पी.जी. सुरक्षा और दुर्घटनाओं के प्रबंधन पर कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है।

भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रासायनिक और एलपीजी आपदा प्रबंधन पर विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है जो ऐसे आपदा प्रबंधन के रोडमैप पर कार्य करेगी।

9. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रत्येक राजस्व जिले के पास एक आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के अधिकांश राजस्व जिलों ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर आपदा प्रबंधन योजना डाल दी है, लेकिन फिर भी इन जिलों के पास कोई आपदा प्रबंधन योजना नहीं है।

10. सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम, नीति, नियम और योजनाएं उनकी मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वित की जानी चाहिए तथा उन्हें केवल अभिलेखों में कागज के टुकड़े तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

11. इस न्यायालय का मानना है कि यदि सरकार सड़क सुरक्षा के संबंध में उचित सावधानी बरतती है, तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सड़कों और राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा एक प्रमुख समस्या है। हर साल सड़कों, यू-टर्न और ब्लैक स्पॉट पार करते समय हजारों लोग मारे जाते हैं। इन दुर्घटनाओं से जन-धन और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। सरकार के लिए इन ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और मानव जीवन व सभी जीवों की सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय अपनाने का यह सही और उचित समय है। ऐसे यू-टर्न और ब्लैक स्पॉट से गुजरते या पार करते समय लोगों को सतर्क रहने के लिए सचेत करने हेतु खतरे की चेतावनी वाले अलार्म लगाए जा सकते हैं।

12. मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने 20.12.2024 को हुई आग की

घटना के लिए मृतक व्यक्तियों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है और घटना के कारणों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच के लिए छह सदस्यों की एक समिति गठित की गई है।

13. इस न्यायालय की सुविचारित राय में सरकार की ओर से उपरोक्त कदम पर्याप्त नहीं हैं; इस मामले की तत्काल गंभीर जांच और अन्वेषण की आवश्यकता है तथा मृतकों के परिवार के सदस्यों, घायल व्यक्तियों और उन सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है जिनके वाहन और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

14. इस न्यायालय ने यह भी देखा है कि सरकार द्वारा शहरों और शहरों के बाहरी इलाकों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई पुलों और ओवरब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है और इनका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह अभी भी कछुए की गति से चल रहा है और कई वर्ष बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने में इस तरह की देरी से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को ऐसे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और यदि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं होता है, तो ऐसे विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

15. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, जनहित में सार्वजनिक स्थानों पर आग लगने की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से निपटने के उपाय खोजने हेतु स्वतः संज्ञान लिया जाता है। इस याचिका को इस रूप में पंजीकृत किया जाए:

सोड मोटू: प्रकरण शीर्षक:

जयपुर-अजमेर किशनगढ़-भांकरोटा राजमार्ग पर भीषण आग लगने का मामला।

बनाम

- (1) भारत संघ, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
- (2) सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (3) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (4) सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (5) सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें कि उन्हें निम्नलिखित निर्देश क्यों न जारी किए जाएं:

- (i) सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कराने तथा प्रशासन की ओर से वैधानिक कर्तव्य का पालन न करने तथा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटित होने में लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई न करने के लिए।
- (ii) इस अग्निकांड में मृतकों, घायलों और उन सभी पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा राशि प्रदान करना जिनके वाहन और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।
- (iii) उन खतरनाक कारखानों और गोदामों को, जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायन, गैसों आदि का निर्माण और भंडारण किया जाता है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानों पर स्थानांतरित करना।
- (iv) इस आदेश के पैरा-8 में उल्लिखित अधिनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से क्रियान्वयन तथा सभी जीवित प्राणियों के जीवन को बचाने के लिए सभी राजस्व जिलों में आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
- (v) पुलों और ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढांचे के भीतर पूरा करने के लिए उचित कदम उठाना और
- (vi) भविष्य में किसी भी अवांछित घटना से बचने के लिए अत्यधिक ज्वलनशील गैसों, रसायनों, खतरनाक वस्तुओं आदि को ले जाने वाले ऐसे वाहनों के लिए उपयुक्त योजनाएं/नीतियां तैयार करने के लिए अलग रास्ता/मार्ग उपलब्ध कराना।
- (vii) राजमार्गों पर खतरनाक अलार्म लगाकर ब्लैक स्पॉट और खतरनाक यू-टर्न की पहचान करना तथा मानव जीवन और सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय अपनाना।
- (viii) श्री महेंद्र शांडिल्य, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर, श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता, श्री आर. डी. रस्तोगी, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता से अनुरोध है कि वे न्यायालय की सहायता करें। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इन अधिवक्ताओं और उनके सहयोगियों के नाम वाद-सूची में दर्शाए जाएँ।
- (ix) राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव तथा सभी प्रतिवादी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस याचिका में शामिल मुद्दे पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- (x) दिनांक 10.01.2025 को जनहित याचिका के रोस्टर वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया

जाएगा।

(अनूप कुमार ढांड), जे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate